2916 ... दर्ज हुई। प्राप्त ... अधिकार ... से प्राप्त हुई ... पत्रावली दिनांक 5/7/22 ... को पेश हो। आज्ञा हुई

7/07/22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर और जवाब पेश। पत्रावली वास्ते शेष तलबी दिनांक 13/7/22 को पेश हो।

[signature]

सहायक कलेक्टर, [illegible]

13/7/22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रा. हाजिर वास्ते शेष तलबी दिनांक 20/7/22 को पेश हो

[signature]

जवाब प्रतिवादी पेश। पत्रावली वास्ते बहस 20/7/22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, [illegible]

[signature]

सहायक कलेक्टर, [illegible]

20/7/22

पत्रावली पेश। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं बहस

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| | के दौरान अपना पक्ष रखा गया। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी के पिता (अप्रार्थी सं. 1) द्वारा वादग्रस्त भूमि का आंशिक हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 (हों) के पक्ष में बख्शीसनामा द्वारा हस्तांतरण कर दिया गया। चूंकि वादग्रस्त खसरा प्रार्थी के पिता की पुश्तैनी भूमि है जिसपर प्रार्थी का जन्म से अधिकार है। इस आधार प्रार्थी द्वारा न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि खातेदार अप्रार्थी को बेचान एवं हस्तांतरण किये जाने से रोका जाए। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें। |

अप्रार्थीगण द्वारा

बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण द्वारा इस बाबत दलील दी गई कि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है एवम् अप्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा है। प्रार्थी का वादग्रस्त खसरा में कोई हक अधिकार नहीं अतः प्रार्थी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं।

बहस पर श्रवण करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रार्थी का पुश्तैनी भूमि के जल से ही अधिकार विहित है एवम्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः सुविधा के संतुलन को ध्यान में रखते हुए समस्त प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति से बचाने हेतु दिनांक 23/2/21 को पारित एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को मात्र बेचान ना करने तक सीमित करते हुए वाद के निस्तारण तक बढ़ाया जाता है।<br>पत्रावली इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।<br>[signature]<br>20/07/22 |